भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3957
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन योजनाओं हेतु सहायता

3957. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री नव चरण माझी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि विभिन्न मत्स्यपालन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत मत्स्य किसानों तक, राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र और विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावकारी ढंग से पहुँचे;

(ख) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) जैसी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी ने विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव सहित राज्यवार मछली किसानों की आय और उत्पादन स्तर को कहाँ तक प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित किया है;

(ग) क्या सरकार भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यवार और जलगांव जैसे जिलों के लिए किसी नई नीति पर विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो इन नीतियों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव में मछलीपालकों को कितना लाभ होगा; और

(ङ) क्या मत्स्यपालकों के लिए शीत भंडारण, परिवहन और बाजार संपर्क में सुधार करने के लिए राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव में उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) : मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है कि विभिन्न मात्स्यिकी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत मत्स्य किसानों के साथ साथ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे । इसमें विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न जागरूकता अभियान, आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत वार्षिक जिला मात्स्यिकी योजना बनाने, उसे अनुमोदित करने और योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर विभिन्न संस्थागत तंत्रों के गठन की परिकल्पना की गई है ।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य और जिलों में विभिन्न कैंप, आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं और वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, विज्ञापनों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर महाराष्ट्र में 4174 लाभार्थियों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें जलगांव जिले के 11 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा, मात्स्यिकी संबंधी आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय योजना के अंतर्गत जलगांव में 312 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

(ख): पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ के अंतर्गत महाराष्ट्र को क्रमशः 1447.67 करोड़ रुपए और 940.45 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भारत सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न पहलों जिसमें पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है, के अंतर्गत लगातार प्रयासों के कारण देश का मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है। महाराष्ट्र में मत्स्य उत्पादन भी 2023-24 के दौरान 5.61 लाख टन से बढ़कर 7.02 लाख टन हो गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित मत्स्य उत्पादन का राज्य-वार विवरण संलग्न है। इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार सृजन, आय में वृद्धि और मछुआरों/मत्स्य किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने में भी मदद मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जलगांव जिले सहित महाराष्ट्र में कार्यान्वित परियोजनाओं के माध्यम से 2854 प्रत्यक्ष रोजगार और 3906 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं ।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं अर्थात् पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ के तहत क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को व्यापक रूप देने को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय उत्पन्न करने, संगठित तरीके से क्षेत्र के विकास और विस्तार में तेजी लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार साल की अवधि के लिए वर्तमान में चल रही पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसका अनुमानित परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित बनाना, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों की पहुंच को सुगम बनाना,जल कृषि बीमा को अपनाने में सुविधा प्रदान करना, मात्स्यिकी क्षेत्र की वैल्यू चैन एफिशिएंस में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना, मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और उनका विस्तार करना है। पीएम-एमकेएसएसवाई के अंतर्गत, नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) की शुरुआत की गई है, जिसमें मछुआरों, मत्स्य किसानों और वैल्यू चैन में संबंधित हितधारकों के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और अब तक एनएफडीपी पर 21.0 लाख से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि आज तक महाराष्ट्र के 2.08 लाख मछुआरों ने एनएफडीपी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है, जिसमें जलगांव के 3082 मछुआरे शामिल हैं।

(ङ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित पीएमएमएसवाई में कोल्ड चैन फैसिलिटीस को मजबूत करने की दिशा में गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, इन गतिविधियों में आइस प्लांट्स/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, विभिन्न क्षमताओं के परिवहन वाहन, होलसेल एवं रीटेल फिश मार्केट्स, फिश कियोस्क, पोस्ट-हारवेस्ट हानि को कम करने के लिए फिश वैल्यू ऐडीड एंटरप्राइज़, वैल्यू चैन सिस्टम और लाभप्रदता में वृद्धि करना शामिल है । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, महाराष्ट्र को होल सेल फिश मारकेट की 3 इकाइयाँ, नए आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज की 80 इकाइयाँ, फिश ट्रांपोर्टेशन सुविधाओं की 863 इकाइयाँ, फिश कियोस्क की 47 इकाइयाँ और वैल्यू ऐडीड एंटरप्राइज़ इकाइयों की 13 इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि कोल्ड चेन सुविधाओं की संख्या में वृद्धि के कारण आइस उत्पादन और कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में वृद्धि हुई है।

*****

'मत्स्यपालन योजनाओं हेतु सहायता' के संबंध में 25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3957 के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण ।

(टन लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	41.74	46.24	48.13	51.06	51.58
2	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.05	0.05	0.09	0.09
3	असम	3.73	3.93	4.17	4.43	4.99
4	बिहार	6.41	6.83	7.62	8.46	8.73
5	छत्तीसगढ	5.72	5.77	5.91	6.52	7.81
6	गोवा	1.05	1.11	1.16	1.40	1.36
7	गुजरात	8.59	8.40	8.74	8.97	9.08
8	हरियाणा	1.91	2.03	2.08	2.12	2.15
9	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18
10*	जम्मू और कश्मीर	0.21	0.21	0.25	0.27	0.28
11	झारखंड	2.23	2.38	2.57	2.80	3.11
12	कर्नाटक	6.32	6.08	10.74	12.25	11.31
13	केरल	6.80	6.16	8.26	9.21	8.32
14	मध्य प्रदेश	2.00	2.49	2.93	3.42	3.82
15	महाराष्ट्र	5.61	5.24	5.90	5.90	7.02
16	मणिपुर	0.32	0.33	0.33	0.34	0.45
17	मेघालय	0.14	0.16	0.18	0.19	0.20
18	मिजोरम	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
19	नागालैंड	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
20	ओडिशा	8.18	8.73	9.90	10.52	11.24
21	पंजाब	1.51	1.65	1.90	1.85	1.84
22	राजस्थान	1.16	0.60	0.66	0.79	0.91
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
24	तमिलनाडु	7.57	7.23	8.07	8.29	8.84
25	तेलंगाना	3.00	3.49	3.90	4.38	4.56
26	त्रिपुरा	0.78	0.82	0.82	0.83	0.86
27	उत्तराखंड	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09
28	उत्तर प्रदेश	6.99	7.46	8.09	9.15	11.60
29	पश्चिम बंगाल	17.82	18.24	18.43	20.45	22.02
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.40	0.43	0.44	0.47	0.50
31	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादर और नगर हवेली	0.32	0.30	0.30	0.29	0.30
33	दमन और दीव					
34	दिल्ली	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
10*	लद्दाख	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.20	0.15	0.12	0.11	0.13
36	पुदुच्चेरी	0.51	0.39	0.47	0.46	0.47
भारत		**141.64**	**147.25**	**162.48**	**175.45**	**184.02**

*****